

बिशेष वार्षिक

न्यायालय आपर आयुक्त
सागर संभाग—सागर

खालील कानूनीकरण उद्दीपन

पुनर्विलोकन | दिनांक 2017/2137
न्यायालय अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर मोप्र०

—0—

क्रमांक 19/रीडर अति.कमि./2017
प्रति,

माननीय अध्यक्ष महोदय,
राजस्व मण्डल ग्वालियर
मध्यप्रदेश।



सागर, दिनांक 30-06-2017

विषय:- अपील-781 एवं 782/अ-6/वर्ष 2014-15 पक्षकार—साकूलाल वगैरे विरुद्ध^{इमरत वगैरे में पुनर्विलोकन की अनुमति बावत् ।}

—0—

आवेदक साकूलाल पुत्र खुमान एवं अन्य-2 साकिन ग्राम पवा तहसील तालबेह, जिला ललितपुर (उमोर) की ओर से अधिवक्ता श्री दिलीप गोस्वामी द्वारा इस न्यायालय के अपील-781 एवं 782/अ-6/वर्ष 2014-15 पक्षकार—साकूलाल वगैरे विरुद्ध इमरत वगैरे को पुनर्विलोकन में लिये जाने हेतु पृथक—पृथक आवेदन पत्र मोप्र०भू—राजस्व संहिता-1959 की धारा-51 के अंतर्गत प्रस्तुत किये गये हैं।

उल्लेखनीय है, कि उपरोक्त दोनों प्रकरणों में पूर्व पीठासीन अधिकारी के द्वारा दिनांक 21-6-2016 में आदेश पारित किये गये हैं, जिस कारण सक्षम न्यायालय से पुनर्विलोकन की अनुमति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

अतः इस न्यायालय का अपील प्र०क० 781 एवं 782/अ-6/वर्ष 2014-15 पक्षकार—साकूलाल वि० इमरत वगैरे मूलतः संलग्न प्रेषित हैं। आपसे अनुरोध है, कि उपरोक्त प्रकरणों में पुनर्विलोकन की अनुमति एवं प्राप्ति अभिस्वीकृति प्रदान किये जाने का कष्ट करें।

संलग्न-

1- प्र०क० 781/अ-6/वर्ष 2014-15 मूलतः
पक्षकार—साकूलाल वि० इमरत वगैरे
आरोआर० नं० 614/2015-16

2- प्र०क० 782/अ-6/वर्ष 2014-15 मूलतः
पक्षकार—साकूलाल वि० इमरत वगैरे
आरोआर० नं० 615/2015-16

लो
अपर आयुक्त
सागर संभाग, सागर

राजस्व मण्डल, भृगुप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – एक/पुनरावलोकन/टीकमगढ़/भूरा./2017/2137 जिला – टीकमगढ़

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	
16.10.2017	<p>आवेदक शासन की ओर से अधिवक्ता श्री डी.के. पालीवाल उपस्थित। पक्षकार साकूलाल स्वयं उपस्थित। उनके द्वारा अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा चाही गई पुनरावलोकन की अनुमति दिए जाने का निवेदन किया गया।</p> <p>आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया, प्रकरण का अवलोकन किया। विचारोपरांत अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पत्र दिनांक 30.06.2017 द्वारा चाही गई पुनरावलोकन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि वे उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण का निराकरण गुण-दोष पर विधिवत करें।</p>  <p>प्रशासकीय सदस्य</p>	